

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

देवीशंकर पिता चतरा गीणा निवासी लुहारीकला
बनाम

छीतर पिता हुवमा गीणा निवासी लुहारीकला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 213 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4521, 4523 कुल किता 01 रकबा 4.4111 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4521, 4523 कुल किता 01 रकबा 4.4111 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 213 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 213 / 2024 अनवान देबीशंकर पिता चतरा मीणा निवासी लुहारी कला बनाम छीतर पिता हुकमा मीणा निवासी लुहारी कला, केसर पिता बख्तावर मीणा निवासी लुहारी कला, गुकेश पिता अमर सिंह मीणा निवासी लुहारी कला, अंबालाल पिता कजोड़ मीणा निवासी लुहारी कला, छोटू पिता बिशना मीणा निवासी लुहारी कला, हरजी पिता सकराम मीणा निवासी लुहारी कला, मदन पिता सकराम मीणा निवासी लुहारी कला, कल्याण पिता सकराम मीणा निवासी लुहारी कला, दयाल पिता फेफा मीणा निवासी लुहारी कला, भोमा पिता कालू मीणा निवासी लुहारी कला, सालगा पिता कालू मीणा निवासी लुहारी कला, प्रभु पिता पेमा मीणा निवासी लुहारी कला, राजू पिता देवकरण मीणा निवासी लुहारी कला, सुरेंद्र पिता देवकरण मीणा निवासी लुहारी कला, हरजी पिता राम सुख मीणा निवासी लुहारी कला, शिवराज पिता सुवा मीणा निवासी लुहारी कला, पदम सिंह पिता दयाल मीणा निवासी लुहारी कला, प्रताप पिता छीतर मीणा निवासी लुहारी कला, विनोद पिता छीतर मीणा निवासी लुहारी कला, रूप सिंह पिता धारू मीणा निवासी लुहारी कला, नारायण का पिता श्री किशन मीणा निवासी लुहारी कला, रामधन पिता श्रीकिशन मीणा निवासी लुहारी कला, भूरा पिता श्रीकिशन मीणा निवासी लुहारी कला, ऊंकार पिता फेमा मीणा निवासी लुहारी कला, विनोद पिता मोहन मीणा निवासी लुहारी कला, रामप्रसाद पिता नाथू मीणा निवासी लुहारी कला, मोहन पिता लोडकिया मीणा निवासी लुहारी कला, मोहन पिता खाना मीणा निवासी लुहारी कला, खेमरा पिता मांगीलाल मीणा निवासी लुहारी कला, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम लुहारीकला प.ह. लुहारीकला आराजी सं. 4521, 4523 कुल कित्ता 01 रकबा 4.4111 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा